

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2022/59845/KSN/KUSHI NAGAR/369/CFO**दिनांक : **27-08-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUNLIGHT MISSION SCHOOL** पता **ARAZI NO 1931,TEKUATAR,KASIA** तहसील - **KASIA** प्लॉट एरिया **5069.33 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1762.92** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	2	0	6.60 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUNLIGHT MISSION SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **30-08-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ABDULKAYUM SIDDIQUE** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-09-2022** से **31-08-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUNLIGHT MISSION SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUNLIGHT MISSION SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. यद्यपि निर्मित भवन के प्रस्तुत मानचित्र में 02 जीने 1.5 मीटर चौड़ाई का प्रावधान है परन्तु वाये तरफ टेव्वल डिस्टेंस अधिक है एक अतिरिक्त जीना बाये साईड और बनाये जायें।
2. स्कूल परिसर में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु अलग से एन0ओ0सी0 ली जायें।
3-प्रत्येक 06 माह में फायर/इवेकेशन माकड्रिल, अग्निशमन प्रशिक्षण कराते हुये रिकोर्ड रखें, सम्बन्धित फायर स्टेशन प्रभारी अग्निशमन अधिकारी समय- समय पर स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण करते रहें।
4-- भवन का एन0ओ0सी0 संशोधित शासनादेश संख्या-187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्गत किया जाता है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JASVEER SINGH

89C53FD40E1570902F78776FE92F58F4E0B3D2E7

01-09-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **01-09-2022**
स्थान : **KUSHI NAGAR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

